

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि०/नियो०),
लो०नि०वि०, लखनऊ उ०प्र०।

लोक निर्माण अनुभाग:-5

लखनऊ: दिनांक 04 फरवरी, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद श्रावस्ती में निर्माणाधीन 24 सूट ट्रांजिट हास्टल की पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-1175बीजीबी/112बीजीबी/सामान्य/2018-19, दिनांक 18-01-2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु उसके सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि **रु० 159.67 लाख (रु० एक करोड़ उनसठ लाख सरसठ हजार मात्र)** अवमुक्त कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(धनराशि लाख रु० में)						
1	78ईजी/23-5-08-50(148) ईजी/07, दि० 04.02.2008 एवं 505ईजी/23-5-08-0(148) ईजी/07, दि० 24.03.2008	जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत मुख्यालय भिनगा में 24 सूट वाले आफिसर्स ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कार्य।	174.88 पुनरीक्षित लागत रु० 314.42 लाख।	154.75	159.67	159.67
योग :-			314.42	154.75	159.67	159.67

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-23-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट हास्टल का निर्माण (चालू कार्य)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनु०-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं०-8/2017/बी-1-1190/ दस-2017-231/17, दि० 03.08.2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।
भवदीय,

(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या:-11/2019/09आ0(1)/23-5-2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- मण्डलायुक्त अयोध्या/जिलाधिकारी श्रावस्ती।
- 4- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या क्षेत्र, लो०नि०वि०, अयोध्या।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
- 7- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र०रा०नि०लि०, श्रावस्ती इकाई, श्रावस्ती।
- 8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, उ०प्र० लखनऊ।
- 9- विशेष कार्याधिकारी, मा० उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
- 10- निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रक), अनुभाग-8/लो०नि०अनु०-10
- 12- श्रम अनु०-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नीरजा सक्सेना)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।